दांडिक अपील

न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया और एस. सी. मित्तल के समक्ष ,

राज्य, - अपीलकर्ता

बनाम

निहाल सिंह और अन्य, उत्तरदाता।

आपराधिक अपील संख्या 635/1967

31 अगस्त, 1970

दंड संहिता (1860 का XLV) - धारा 380 - रेलवे प्रतीक्षालय - एकइमारत जिसे "मानव आवास के रूप में इस्तेमाल किया जाता है" - ऐसे कमरे में की गई चोरी - क्या धारा 380 के तहत दंडनीय है ।

अभिनिर्धारित किया की भारतीय दंड संहिता की धारा 380 में 'निवास' शब्द का अर्थ एक इमारत, तम्बू या बर्तन है, जिसमें कोई व्यक्ति स्थायी या अस्थायी रूप से रहता है, रहता है या रहता है। इसलिए, एक रेलवे प्रतीक्षालय एक 'मानव आवास के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली इमारत है और इसमें की गई चोरी भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के तहत दंडनीय होगी । (पैरा 7)

श्री सालिग राम बख्शी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जींद के 10 अप्रैल, 1967 के आदेश के आधार पर अपील, जिसमें प्रतिवादियों को बरी कर दिया गया था।

डी. डी. जैन एडवोकेट-जनरल(हरियाणा) के वकील, अपीलकर्ता की ओर से ।

उत्तरदाता के लिए यू.डी.गौड़ अधिवक्ता ।

निर्णय

इस न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आरएस सरकारिया द्वारा दिया गया है,- 14 दिसंबर, 1966 को रात करीब 11.30 बजे जींद रेलवे स्टेशन पर द्वितीय श्रेणी के प्रतीक्षालय से राज मोहन सोनी (पीडब्ल्यू 4) का सामान चोरी हो गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, निहाल सिंह और राम चंद आरोपी-प्रतिवादियों से घटना के तुरंत बाद सामान बरामद किया गया था। जांच के बाद, उचित समय पर, पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जींद के समक्ष विचारण के लिए भेज दिया। 25 जनवरी, 1967 को मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के तहत अपराध के संबंध में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दो अलग-अलग आरोप तय किए और मुकदमे को आगे बढ़ाया। इसके बाद, उन्होंने 1 फरवरी, 1967 और 2 फरवरी, 1967 को अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए पूरे अभियोजन साक्ष्य को रिकॉर्ड किया और फिर 14 फरवरी, 1907 को आरोपी व्यक्तियों से पूछताछ की। इसके बाद बचाव पक्ष के साक्ष्य पेश करने के लिए मामले को 6 मार्च, 1967 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि, ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया था और मामले को अंततः अंतिम बहस के लिए तय किया गया था। उस स्तर पर, अभियुक्त-व्यक्तियों के दिनांक 16 मार्च, 1967 के आवेदन पर, मजिस्ट्रेट ने अप्रैल, आक्षेपित आदेश द्वारा। 10, 1967 ने भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत आरोप को संशोधित और बदल दिया। इसके बाद, उसी तारीख को, राज मोहन सोनी ने अपराध को कम करने की अनुमति के लिए आवेदन किया। दूसरे आक्षेपित आदेश द्वारा, विद्वान मजिस्ट्रेट ने अनुमति दी और संरचना के आधार पर आरोपी व्यक्तियों को बरी कर दिया। आरोपी व्यक्तियों को बरी करने वाले उन आदेशों के खिलाफ, राज्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

(2) यह ध्यान दिया जा सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, अनुसूची II के तहत, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत एक अपराध शमनीय है (जब संपत्ति का मूल्य 250 रुपये से अधिक नहीं है) भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के तहत अपराध बिल्कुल भी शमनीय नहीं है। इस प्रकार, इस अपील में विवाद मुख्य रूप से

इस सवाल के इर्द-गिर्द घूमता है कि क्या ट्रायल कोर्ट के समक्ष मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 380 या धारा 379 के तहत अपराध का खुलासा किया गया है।

(3) भगवान दास, पी.डब्ल्यू.1 की गवाही यह है कि राज मोहन सोनी ने अपने अटैची-केस, एक्ज़िबिट पी. 1 के साथ जींद रेलवे स्टेशन पर द्वितीय श्रेणी के प्रतीक्षालय में प्रवेश किया। उन्होंने इस सामान को कमरे में छोड़ दिया और पी डब्ल्यू भगवान दास, वाहक से यह कहते हुए चले गए कि वह अपना भोजन लेने जा रहे हैं, और उनकी अनुपस्थिति में, उन्हें कमरे में बचे अपने सामान का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह, राज मोहन सोनी का सबूत यह है कि उन्होंने अपना सामान पीडब्ल्यू भगवान दास की देखरेख में वेटिंग रूम में छोड़ दिया था, जबकि पूर्व खराब अस्थायी रूप से अपना भोजन लेने के लिए चले गए थे। सबूत के तौर पर यह भी कहा गया कि आरोपी रात 11.30 बजे जींद में ट्रेन से उतरे और वेटिंग रूम में घुस गए। उन्होंने भगवान दास को उनके लिए चाय लाने के लिए भेज दिया। जब भगवान दास चाय लेकर लौटे तो उन्होंने पाया कि आरोपी और राज मोहन सोनी का सामान गायब हो गया है। भगवान दास ने मामले की सूचना मोहिंदर सिंह कांस्टेबल को दी, जिन्होंने इसके तुरंत बाद दोनों आरोपियों को सामान के साथ एक तांगा से गिरफ्तार कर लिया।

(4) ऊपर प्रस्तुत किए गए सबूतों के सार को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न इस मुद्दे को हल करेगा: क्या रेलवे प्रतीक्षालय एक इमारत है जिसका उपयोग भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के विचार के भीतर "मानव आवास" के रूप में किया जाता है।

(5) भारतीय दंड संहिता की धारा 380 इन शब्दों में है -

> "जो कोई भी इमारत, तम्बू या जहाज में चोरी करता है, जिसका उपयोग इमारत, तम्बू या जहाज का उपयोग मानव आवास के रूप में किया जाता है या संपत्ति के संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, उसे सात साल तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

(6) इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि रेलवे प्रतीक्षालय एक इमारत है। विचार करने के लिए आगे का मुद्दा यह है कि क्या इसका उपयोग 'मानव आवास' के रूप में किया जाता है। श्री गौर का तर्क यह है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 380 में 'आवास' शब्द का एक सीमित अर्थ है, अर्थात् "स्थायी निवास के रूप में उपयोग किया जाने वाला घर या इमारत", और इसमें ऐसे सार्वजनिक स्थान शामिल नहीं हैं जहां यात्री अपनी ट्रेन के आगमन की प्रतीक्षा में केवल थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं।

(7) यह सच है कि 'निवास' के शब्दकोश का एक पहलू 'स्थायी निवास में रहना', 'अपना निवास होना, निवास करना' है। लेकिन यह शब्द का एकमात्र अर्थ नहीं है, जो व्यापक आयाम का है और इसका उपयोग कई रंगों और इंद्रियों में किया जाता है। ओ.ई., यानी, अंग्रेजी में शब्द की मूल उपस्थिति (शार्ट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी (तीसरा संस्करण, और वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी, दूसरा संस्करण) थी, जो "सुस्त" के समान थी - जिसका मूल अर्थ था "देर करना, देरी करना, सुस्त होना"। वर्तमान उपयोग में भी, यह अर्थ बरकरार रखता है: "किसी स्थान या स्थिति में एक समय के लिए रहना, रहना या रहना"। इस प्रकार, भारतीय दंड संहिता की धारा 380 में 'आवास' शब्द का अर्थ एक इमारत, तम्बू या बर्तन है, जिसमें कोई व्यक्ति स्थायी या अस्थायी रूप से रहता है, रहता है या रहता है - रेलवे प्रतीक्षा-कक्ष, इसलिए, "मानव आवास के रूप में उपयोग की जाने वाली इमारत" है और इसमें की गई चोरी भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के तहत दंडनीय होगी। यह मामला होने के कारण, विद्वान मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के तहत आरोप को धारा 380 से बदलकर धारा 379 के तहत कर दिया, और इस स्पष्ट रूप से गैर-कंपाउंडेबल मामले की संरचना की अनुमति देने में अपना आगे का आदेश दिया - जो भारतीय दंड संहिता 1 की धारा 380 के तहत एक था - और इसके आधार पर आरोपी को बरी कर दिया। दूषित और अधिकार क्षेत्र से परे था।

(8) परिणामस्वरूप, हम अपील स्वीकार करते हैं, आक्षेपित आदेशों को रद्द करते हैं, और कानून के अनुसार फिर से सुनवाई के लिए मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जींद को भेजते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के समिति उपयोग कि लिए है ताकि यह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्यावहारिक और आपराधिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

हिमांशु आर्य
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हरियाणा